भारत की आने वाली ट्रांस निति के लिए: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सिफारिशें

ट्रांसजेंडर लोगों, खासकर ट्रांस मरदाना समुदाय पर एक संक्षिप्त नोट

इस बात पर ध्यान दिया जाये कि हिजरा और ट्रांस महिला समुदाय के साथ, खासकर २००९ से कई सरकारी विचार विमर्श हो रहे हैं. इसके जैसे कोई विमर्श ट्रांस मरदाना समुदाय के साथ नहीं हुए हैं. यह चल रहे सरकारी प्रयासों में भी झलकता आ रहा है, जिनमें नीतियों कि परिकल्पना सिर्फ हिजरा, अरावनी और बाकी ट्रांस महिला समुदाय के लिए है.

हमारी सबसे पहली सिफारिश है कि सरकार ट्रांस मरदाना समुदाय के लिए अलग से एक विमर्श करें और समुदाय स्तर पर विचार विमर्श के लिए समय दे. ट्रांस मरदाना व्यक्ति के समाज के सामने आने के जो जोखिम हैं, उनकी वजह से बहुत कम लोग समाज में सामने आ पाये हैं और प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात रख पाये हैं. जिस तरह से ट्रांस महिला समुदाय ऐतिहासिक रूप से सामाजिक रूप से संगठित हो पाया है, ट्रांस मरदाना समुदाय ऐसा नहीं कर पाया है. इसको ध्यान में रखते हुए, इस विमर्श को पूरा ध्यान और समय देना चाहिए।

हमारे बिना हमारे लिए कुछ नहीं। हमारी दूसरी सिफारिश है कि ट्रांस व्यक्तियों के लिए निति बनाने की प्रक्रिया में ट्रांस व्यक्तियों को शामिल किया जाये। इन्हें लोकल ट्रांसजेंडर समुदाय, जिनमें ग्रामीण, आदिवासी, दलित और धार्मिक अल्पसंख्यक ट्रांस लोग भी हैं, को शामिल किया जाये। एन जी ओ और पैरवीकारों के आलावा बड़ी मात्र में ट्रांस व्यक्ति हैं, जिनसे बात करने कि ज़रुरत है. सरकार के द्वारा लागू किये जाने वाले कोई भी बदलाव एन जी ओ के द्वारा नहीं चलाये जाएँ। यह सरकार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाये जाएँ, जिसमे समुदाय के लोग लोकतान्त्रिक तरीके से अपने प्रतिनिधि चुन सकें।

तीसरा महत्त्वपूर्ण पॉइंट हम रखना चाहते हैं कि हाल ही में ट्रांस समुदाय के लिए पी ए जी ऍफ़ बी और पी ए जी म बी शब्द इस्तमाल किये जा रहे हैं. यह शब्द हमें नाराज़ करते हैं. हम सरकार और विकास सेक्टर को कहते हैं कि हमारे लिए इन शब्दों का इस्तमाल नहीं किया जाये। समुदाय अपने लिए जो शब्द इस्तमाल करते हैं, वह शब्द इस्तमाल किये जाएँ। ट्रांस मरदाना नागरिकों के लिए ज़्यादातर यह शब्द हैं: ऍफ़ टी एम् और ट्रांस्मैन। समुदाय को पी ए जी ऍफ़ बी समुदाय कहने के बजाये ट्रांस मरदाना समुदाय कहा जाये।

सरकार कि ज़िम्मेदारी है कि वह पूरे ट्रांस आबादी के स्पेक्ट्रम को देखें, न कि सिर्फ हिजरा और ट्रांस महिला समुदाय को. अगर वह जेंडर पहचान और अभिव्यक्ति कि विविधता पर ध्यान नहीं देंगे, तो एक ऐसी निति बन जायेगी जो कुछ जेंडर पहचानों और अभिव्यक्तियों को ख़ास फायदे देती है, और बाकी पहचानों और अभिव्यक्तियों को नहीं। इस से कुछ लोगों को निति से बाहर रखा जायेगा और हमें डर है कि आने वाली निति दस्तावेज़ में ट्रांस मरदाना समुदाय पूरी तरह से शामिल नहीं हो पायेगा। इस से एक महत्वपूर्ण मौका खो जायेगा।

हम सिफारिश करते हैं कि सरकार ४-५ राष्ट्रीय स्तर के विमर्श का आयोजन करे ताकि देश के विविध ट्रांस लोगों के साथ चर्चा की जा सके और योजना बनाई जा सके.

बाकी सिफारिशें इस तरह से हैं:

ट्रांस लोगों के लिए जेंडर को मान देने वाले नागरिक अधिकार

चुने हुए जेंडर के कानूनी पहचान का अधिकार

भारत में ट्रांस समुदाय बहुत विविध तरह के हैं. उनका इतिहास और आज कि परिस्थिति भी अलग अलग प्रकार कि है. हमारी सिफारश है:
१. ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स व्यक्ति के अपने लिए चुने गए जेंडर को सम्मान मिले। एक थर्ड जेंडर केटेगरी मुहैया कि जाये. सभी सरकारी कार्यवाहियों में इसे इस्तेमाल किया जाये - चाहे वे राष्ट्रीय या राजकीय पहचान पत्र हों, सामान्य सरकारी काम, स्कूल और कॉलेज सर्टिफिकेट हों, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएँ हों या बाकी कानूनी कार्य।

२. इस केटेगरी में व्यक्ति अपना चुना हुआ जेंडर पहचान लिख सकें। (देश में क्षेत्र और संस्कृति के हिसाब से कई तरह कि जेंडर पहचाने हैं, ट्रांस महिला जेंडर पहचानों के उदहारण हैं: थिरुनंगाई, मंगलामुखी, अरवनी, हिजरा, कोथी, किन्नर, जोगप्पा, शिव शक्ति। ट्रांस मरदाना जेंडर के कुछ उदहारण हैं: थिरुनम्बि, ऍफ़ टी एम्, गण्डबस्का, ट्रांस्मैन, बाबू, भैया।) ट्रांस लोगों को अपनी चुनी हुई पहचान लिखने के लिए जगह खाली होनी चाहिए। जेंडर पहचान और अभिव्यक्ति में इतनी विविधता है कि जेंडर पहचान के लिए पहले से लिस्ट नहीं बनाई जा सकती।

३. थर्ड जेंडर केटेगरी का विकल्प होने का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि सभी ट्रांस लोगों को ज़बरदस्ती उसी केटेगरी को टिक करना पड़े. जो ट्रांस व्यक्ति जेंडर में पुरुष या महिला पर टिक करना चाहें, वेह ऐसा कर सकें।

४. अगर/जब ट्रांस कल्याण बोर्ड बने, तो उसके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को एक अलग पहचान पत्र से हासिल किया जा सकता है. अरावनी कल्याण बोर्ड ने भी पहचान पत्र दिए हैं. (यहाँ ध्यान रखा जाये कि ट्रांस मेन को इसमें बाहर न रखा जाये, जैसा अरावनी बोर्ड ने किया है.)

५. सरकार को भारत दंड संहिता सेक्शन १० पुरुष और महिला में जेंडर कि परिभाषा में बदलाव लाना चाहिए। सेक्शन १० कहता है," "पुरुष" शब्द का मतलब है किसी भी उम्र का इंसान जो पुरुष है; "महिला" शब्द का मतलब है किसी भी उम्र कि वो इंसान जो महिला है." इसको बदलकर जेंडर का मतलब होना चाहिए " कोई भी इंसान, चाहे वह पुरुष पैदा हुआ हो, महिला या इंटरसेक्स वेरिएशन के साथ पैदा हुआ हो, को कोई भी जेंडर लेने का अधिकार है. यह जेंडर उनके हर नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान में बिना किसी परिहास, उत्पीड़न, इंकार और अधिकार से वंचित रखने में दिखाई देना चाहिए और गरिमा और सम्मान से साथ सबको मंज़ूर होना चाहिए।"

६. कानूनी पहचान में बदलाव करने के लिए सेक्स री असाइनमेंट सर्जरियों की ज़रुरत नहीं होनी चाहिए।

जेंडर को मान देने वाली स्कूल और कॉलेज शिक्षा

१. स्कूल और कॉलेज की पढाई, पाठ्यक्रम के अलावा होने वाले गतिविधियों, प्रशिक्षित काउंसलरों और टीचर ट्रैनिंग के द्वारा जेंडर और यौनिकता की समझ को पुरुष, महिला और विषमलैंगिकता के दोहरे विचार से आगे ले जाना।
२. जन्म पत्र, स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल डिग्रीयों में अपने चुने हुए जेंडर के आधार पर बदलाव की मंज़ूरी।
३. अभी पढ़ रहे या पुराने विद्यार्थियों को अगर दाखिला लेने के समय पर जो नाम और जेंडर संसथान में दर्ज़ करवाया हो, वह बदलना है, तो यह सुविधा उपलब्ध करवाना। कई ट्रांस लोग शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि सिखाने-पढ़ने का पर्यावरण सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी पहचान या तो पुरुष या महिला करते हैं. इसकी वजह से जो विद्यार्थी अपनी पहचान इन दोनों जेंडर केटेगरी में किसी एक में पूरी तरह से नहीं समझते हैं, उनको काफी सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है. ज़्यादातर इन विद्यार्थोयों को स्कूल छोड़ना पड़ जाता है. कुछ और मामलों में, ऐसा तब भी होता है अगर स्कूल/कॉलेज में पढ़ने वाले ट्रांस व्यक्ति जेंडर को मान देने वाले हॉर्मोन थेरेपी या सर्जरी करने का चुनाव करे और स्कूल/कॉलेज के दस्तावेज़ों में बदलाव कि मनाही हो.
४. शिक्षा के सभी स्तरों के लिए हर एक सरकारी शिक्षा संस्थानों में ट्रांस विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप दें.

जेंडर को मान देने वाली मेडिकल और पैरा मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं

१. मेडिकल और पैरा मेडिकल शिक्षा और प्रशिक्षण में सेक्स और जेंडर कि समझ को बढाकर इसमें जेंडर और यौनिक अभिव्यक्ति और प्रवृति की विविधता को शामिल करना।
२. अब पुराने हो चुके नैदानिक ढांचे के द्वारा, जो शरीर पुरुष और महिला की ये दो साफ़ केटेगरी में नहीं हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक और मेडिकल रूप से बीमारी समझने पर रोक.
३. ट्रांस स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचने के लिए जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, बीमारी की इस पहचान की ज़रुरत होती है. इन सेवाओं तक पहुँचने के लिए जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के प्रमाण की ज़रुरत पर रोक लगनी चाहिए।
४. हर प्रदेश के कम से कम एक बड़े सरकारी अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रांस स्वास्थ्य सेवाएं मुहैय्या हों और इनको प्राप्त करने के लिए आर्थिक मदद (सब्सिडी) भी दी जाये। इन सेवाओं की समय समय पर इनके प्रक्रिया, प्रयोग और परिणाम की गुणवत्ता जांच हो.
५. सभी सरकारी अस्पतालों में ट्रांस लोगों की व्यापक स्वास्थ्य और चिकित्सीय आपात स्थिति के बारे में संवेदनशील बनाना और प्रशिक्षण देना शुरू करना ।
६. सरकारी अस्पतालों में समर्पित ट्रांस वार्ड होना।
७. वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ़ ट्रांसजेंडर हेल्थ [WPATH] जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सबसे नयी सिफारिशें/मांगें मेडिकल शिक्षा और सेवाओं में जोड़ना।
८. देश के सभी टीचिंग अस्पतालों में ट्रांस स्वास्थ्य सेवाओं के नाम से मेडिकल शिक्षा और सेवाओं पर एक अलग विशेषीकृत अंतर्विषयक डिपार्टमेंट शुरू करें।
९ . ट्रांस सेक्स वर्कर के लिए अलग सेवाएं हों - एस टी डी और एस टी आई टेस्ट और इलाज, जान बचाने वाली एच आई वी उपचार, रोक, केयर और सहायता सेवाएं - जिन्हें वे बिना भेदभाव के पा सकें।

१०. मेडिकल प्रक्रियाओं के दौरान ट्रांसजेंडर लोगों की सहमति हमेशा ज़रूरी है. इसका कोई अपवाद नहीं होना चाहिए: अगर डॉक्टर को "सफाई और मेडिकल कारन" के लिए भी मरीज़ के शरीर में पेनेट्रेशन करना है, तो भी मरीज़ कि सहमति की ज़रुरत होनी चाहिए। अभी बलात्कार के कानून में इसे एक अपवाद माना जाता है. जब तक मरीज़ होश में न हो, मेडिकल केयर के लिए किया जाने वाला पेनेट्रेशन सिर्फ मरीज़ कि पूरी सहमति से ही होना चाहिए। अगर मरीज़ होश में नहीं है, तो मरीज़ ने मेडिकल निर्णय लेने के लिए जिस व्यक्ति को चुना है, उसकी सहमति से होना चाहिए। यह इसलिए क्यूंकि कई डॉक्टर ट्रांसजेंडर मरीज़ का इलाज करने के बदले, ट्रांसजेंडर शरीर कैसे होते हैं, अपनी इस उत्सुकता को मिटाना चाहते हैं, और उनपर यौनिक हमले करते हैं.
११. ट्रांस लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक "चिकित्सा". कई मनोरोग चिकित्सक, व्यक्ति को अपने वस् में लेने के लिए रोग कि गलत पहचान करते हैं, आक्रामक इलाज करते हैं और मनोरोग की दवाइयां देते हैं, जिनसे व्यक्ति बेहोशी-जैसी और असमर्थ हालत में चला जाता है. यह हमेशा परिवार के साथ मिलकर किया जाता है और कभी मरीज़ की सहमति के साथ नहीं। अगर कोई मनोवैज्ञानिक किसी भी व्यक्ति के जेंडर पहचान का "इलाज" करने की कोशिश करता है, तो उसे दुराचार का दोषी माना जाये,उसका लाइसेंस ज़ब्त कर लिया जाये और इसको कानून में अपराध माना जाये।
१२. मेडिकल रूप से जेंडर को मान देने की प्रक्रिया में, कोई प्रक्रिया अनिवार्य नहीं बनाई जानी चाहिए। यह उस व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए कि वह कौन सी प्रक्रिया चाहते हैं, और कौन सी नहीं।
१३. सरकार जेंडर को मान देने वाली प्रक्रियाओं को अपने बीमा पालिसी से और प्राइवेट बीमा कंपनियों के द्वारा मुहैया करवाये।

<u>जेंडर को मान देने वाले कानून</u>

१. एक व्यापक अत्याचार विरोधी अधिनियम होना चाहिए जो ट्रांसजेंडर लोगों को किसी भी जेंडर अभिव्यक्ति के अधिकार को साफ़ कहे और जेंडर पहचान और अभिव्यक्ति के कारन लोगों पर होने वाले भेदभाव और अत्याचार को सज़ा दे. जो अत्याचार ट्रांसजेंडर लोगों पर होते है उनमें से कुछ हैं बलात्कार, किसी चीज़ का इस्तमाल करके बलात्कार, कपडे उतरवाना, यौन भाग को काटना, ट्रांस महिलाओं के ज़बरदस्ती बाल काटना, उनके चुने हुए जेंडर के विपरीत कपडे पहनने को मजबूर करना, बंद कर के रखना वगैरह।गालियां देना भी सज़ा का पात्र बनाना चाहिए।
२. यह अत्याचार विरोधी अधिनियम ऐसा होना चाहिए जिसकी सहायता से ट्रांसजेंडर लोग किसी भी तरीके के भेदभाव के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकें। चाहे यह भेदभाव उनके साथ शिक्षा प्राप्त करने में हुआ हो, नौकरी मिलने में, घर/रहने की जगह मिलने में, स्वास्थ्य सेवा लेने में, बाथरूम इस्तमाल करने में या जन परिवहन इस्तमाल करने में.
३. कर्नाटक पुलिस एक्ट और हैदराबाद युनक एक्ट ऐसे कानून हैं, जो पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय को शक के कटघरे में डाल देते हैं और उन्हें लगातार पुलिस को रिपोर्ट करने पर मजबूर कर देते हैं. यह ट्रांसजेंडर महिलाओं पर पुलिस का आक्रमण और यौनिक हिंसा का एक तरीका बन गया है. इसको तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।
४. सभी सरकारी विभागों में ट्रांस लोगों के लिए आरक्षण होना चाहिए।
५. यौनिक हिंसा, यौनिक उत्पीड़न और घरेलु हिंसा के कानूनों को सम्मिलित बनायें: यौनिक हिंसा और उत्पीड़न के कानूनों में सर्वाइवर/जिसपर हिंसा हुई है, कोई भी हो सकते हैं, और किसी भी जेंडर के. अभी के कानूनों के अंतरगर्त सिर्फ महिलाऐं ही यौनिक हिंसा कि शिकायत कर सकती हैं. हम सिफारिश करते हैं कि

सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, जो यौनिक हिंसा से गुज़रते हैं, इस कानून में बदलाव लाकर ट्रांस लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। यौनिक प्रकार की हिंसा जिस हद तक इस समुदाय के साथ होती आयी है, यह प्रमाण उपलब्ध है और दुनिया भर में माना भी गया है.

६. जब कानून सभी लोगों को, जेंडर के बावजूद, यौनिक हिंसा से सुरक्षा दे पाएंगे, तो सेक्शन ३७७ कि कोई ज़रुरत नहीं रहेगी और इसको रद्द कर देना चाहिए। सहमति से होने वाले सेक्स को गैर अपराधी बना देना चाहिए, चाहे उसमे पैसे लिए-दिए गए हों या नहीं, चाहे यह प्राइवेट में हो या पब्लिक में.

७. जिन लोगों को उनका परिवार महिला के रूप में देखता है, उनकि ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती है. और कई लोग, जिनमें लेस्बियन और ट्रांसजेंडर लोग शामिल हैं, को शादी के अंदर अपने सिस-मर्द पति के द्वारा बहुत बुरे तरीके से यौनिक हिंसा का सामना करना पड़ता है. हम ज़ोर डालकर कहते हैं की शादी के अंदर होने वाले बलात्कार को भारत दंड संहिता के सेक्शन ३७५ यौनिक हिंसा में शामिल किया जाए. बलात्कार कि सज़ा एक रहनी चाहिए- चाहे अपराधी सिस-मर्द पति हो या नहीं।

८.यौनिक हिंसा के कानून में बोल कर दी जाने वाली सहमति का यह मतलब साफ़ होना चाहिए कि सेक्स के दौरान कभी भी यह सहमति वापस ली जा सकती है. अगर सेक्स शुरू हो जाए, तो इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है कि जो चीज़ें बिना सहमति के की गयी हों, उन्हें अपराध नहीं माना जायेगा। सेक्स वर्कर्स को अधिकार होना चाहिए कि जिस सेक्स गतिविधि के लिए उन्होंने सौदा करते समय, हाँ नहीं कहा था,अगर वह हुई, तो उन्हें न्याय मिलेगा।

९. ट्रांसजेंडर लोगों की अपने निर्णय लेने की कानूनी उम्र कम कर के १६ कर देनी चाहिए। इन निर्णयों में शामिल हैं स्वायत्तता और आज़ादी इस्तमाल करना, सहमति पूर्ण सेक्स करना, अत्याचार कि वजह से अपना जैविक परिवार छोड़ना, माता पिता और परिवार के शामिल हुए बिना ट्रांस स्वास्थ्य केयर लेना, जिसमे हॉर्मोन थेरेपी और जेंडर को मान देने वाली सर्जरी शामिल है. यह उम्र १६ हो जाने से उन्हें परिवार द्वारा गलत कैसों में फंसने से और पारिवारिक हिंसा से सुरक्षा मिलेगी।

१०. सामाजिक बदनामी के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा: जब ट्रांस व्यक्ति की सहमति के बिना उनके जेंडर के बारे में लोगों को बता दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को सदमा, भेदभाव, नौकरी खो देना, सामजिक हिंसा और कई तरह के अत्याचार को सहना पड़ता है. ट्रांस व्यक्तियों के पहचान को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाने चाहिए। इसमें सुरक्षा होनी चाहिए की बिना सहमति के ट्रांस लोगों को मीडिया में न दिखाया जाए. किसी भी इंसान और संस्थान के द्वारा अगर जेंडर के बारे में ऐसा खुलासा किया गया, जिससे ट्रांस व्यक्ति को और भी अत्याचार सहना पड़े,तो कानून को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह उस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए , जैसी बलात्कार और यौनिक हिंसा होने पर, विक्टिम की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए होती है.

<u>जेंडर को मान देने वाले कानूनों को लागू करना</u>

१. शरीर के यौन/प्रजनन भागों को सर्जरी कर के शरीर से निकालने का निर्णय सिर्फ एक व्यक्ति खुद ले सकता है. आज के समय में जब किसी सर्जन को सेक्स बदलाव का सर्टिफिकेट देना होता है , तो यौन/प्रजनन भागों को निकलना एक ज़रुरत मानी जाती है. यह करने के लिए किसी पर दबाव डालना या यह कहना कि यह तो करवाना की पड़ेगा, ज़बरदस्ती उनको प्रजनन-हीन बनाने के जैसा है और इसे कानून में अपराध बनाया जाना चाहिए।

२. किसी इंटरसेक्स बच्चे को जन्म पे लड़की या लड़का बनाने के लिए ऑपरेशन करना कानून में अपराध बनाना चाहिए।
३. जेलों जैसी बंधक जगहों में ट्रांस लोगों के लिए अलग कमरे होने चाहिए। यहाँ इनकों लगातार परिवार और समुदाय का सहारा भी मिलते रहना चाहिए।
४. जेलों में रह रहे ट्रांस लोगों के लिए ट्रांस स्वास्थ्य सेवा और एच आई वी इलाज उपस्थित होना चाहिए।
५. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग में क्वीयर समुदाय पर होने वाले मानव अधिकार उल्लंघनों को रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग विभाग होना चाहिए।
६. उत्पीड़न, अत्याचार, भेदभाव वगैरह की शिकायत ट्रांस कल्याण बोर्ड में करनी चाहिए। या ट्रांस लोगों के राष्ट्रीय आयोग को पुलिस के द्वारा या राज्य जांच आयोग के द्वारा जांच करवानी चाहिए, जिनके सबूत कानूनी कोर्ट में माने जाएँ।
७. किसी भी ट्रांस व्यक्ति के द्वारा किसी भी पुलिस स्टेशन में दायर की कई शिकायत को ट्रांस कल्याण बोर्ड के सामने रखना चाहिए। यह बोर्ड शिकायत-करता की केस के दर्ज़ होने से लेकर, केस के चलने की पूरी प्रक्रिया में सहायता करेगा ताकि वह बिना अत्याचार और भेदभाव के न्याय तक पहुँच सकें।
८. ट्रांसजेंडर लोगों के लिए महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए ना कि पुरुष पुलिस अधिकारी। जो नियम महिलाओं को रात में गिरफ्तार करने के लिए हैं, वही नियम ट्रांसजेंडर लोगों और सेक्स वर्कर्स के लिए लागू होना चाहिए।
९. अगर कोई राज्य अधिकारी, जिसमे पुलिस भी शामिल है, देश के नागरिकों की सुरक्षा को अपने फ़र्ज़ से अलग करते हैं - बोलकर, शारीरिक, यौनिक उत्पीड़न देते हैं या ट्रांस व्यक्ति की शिकायत दर्ज़ नहीं करते हैं, तो उनपर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए।

जेंडर को मान देने वाले कल्याण साधन/तरीके

१. कोई भी सरकारी निति को लागू करने की ज़िम्मेदारी किसी तीसरी पार्टी, समुदाय आधारित संस्थाएं या एन जी ओ नो को नहीं दी जानी चाहिए।
२. ट्रांस कल्याण बोर्ड एन जी ओ के द्वारा नहीं चलाये जाने चाहिए।
३. सभी सरकारी योजनाओं में ट्रांस लोगों को शामिल करना चाहिए। यह सभी शहरी और ग्रामीण जगहों में ऑडियो और विडियो सन्देश अच्छे तरीके से फ़ैलाने चाहिए।
४. ट्रांस लोगों को सरकारी घर उपलब्ध करवाने चाहिए।
५. सरकार को ट्रांस लोगों के लिए रोज़गार उपलब्ध करवाना चाहिए।
६. शिक्षा और नौकरी में आरक्षण जैसे कल्याण योजना ट्रांस लोगों को भीख मांगने के अलावा रोज़गार मुहैय्या करवाने के लिए ज़रूरी हैं. देश, कर्नाटक और तमिल नाडु सरकार की तरह, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आरक्षण दे सकता है. तमिल नाडु जैसा ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके तहत सभी ट्रांस लोग शामिल होने चाहिए, ट्रांस मेन और इंटरसेक्स लोग भी.
७.शहर में सभी बड़े सरकारी ट्रैन और बस स्टेशनों के पास ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बिना शुल्क के हॉस्टल होने चाहिए, ताकि जिन ट्रांस लोगों को घर छोड़ना पड़ता है, उनके पास रहने के लिए सुरक्षित जगह हो.
८. सभी संस्थानों -प्राइवेट और सार्वजनिक - के लिए तीन केटेगरी के बाथरूम को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए - ट्रांस लोगों के लिए, सिस महिलाओं और सिस आदमियों के लिए.

९. एक निशुल्क सरकारी एल जी बी टी आई हेल्पलाइन और अन्य आपातकालीन सेवाएं चौबीस घंटे चलनी चाहिए, और शहरी और ग्रामीण जगहों में ऑडियो और विडियो संदेशों के द्वारा इसके बारे में प्रचार किया जाना चाहिए। इस हेल्पलाइन पर फ़ोन करने के लिए सभी बस और ट्रैन स्टेशनों पर टेलीफोन भी होने चाहिए। हर राज्य में प्रशिक्षित कर्मचारी इस हेल्पलाइन पर बात करेंगे। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के द्वारा तैयार की गयी टीम आने वाले कॉल्स पर काम करेगी। सरकार को इस काम पर आने वाली लागत को उठाना होगा।
१०. सरकार को लोगों को ट्रांस मुद्दों पर संवेदनशील बनाने के लिए मीडिया कैम्पेन्स चलाने चाहिए।

<u>जेंडर को मान देने वाले खेल</u>

दुनिया के कई संस्थानों ने ट्रांसजेंडर महिलाओं के खेल प्रतियोगिताएं में भाग लेने के मुद्दे पर अपने मत दिए हैं. २००३ में अंतर्राष्ट्रीय ओलिंपिक कमिटी ने अपने स्टॉकहोल्म सहमति ब्यौरे में सुझाव दिया कि महिलाओं की प्रतियोगिताएं में भाग लेने के लिए सभी ट्रांस महिलाओं को दो साल पहले से सर्जेरी के द्वारा शारीरिक बदलाव और हॉर्मोन लेने होंगे। लेकिन यह नीति काफी विवाद से भरी रही और अभी इसके बारे में फिर से सोचा जा रहा है.

अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्टिंग संस्थाएं, महिला प्रतियोगिताओं में ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स विविधता के ऐथलीट्स के बारे में एक अच्छी नीति बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने कम से कम, बदनाम ' जेंडर-प्रमाण टेस्ट' को बैन कर दिया है. हांलाकि, जिन महिला ऐथलीट्स को हाइपर ऐंड्रोजनिस्म है, उनके लिए जो नीति बनाई गयी है, वह पहले के 'जेंडर- प्रमाण टेस्ट' से कम विवादस्पद नहीं है. यह नीति ज़्यादातर इंटरसेक्स विविधता के ऐथलीट्स के लिए बनायीं गयी है.

भारत में, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने काम करने की मानदंड प्रणाली को प्रकाशित किया है, जिस से ' उस परिस्थिति (महिला हाइपर ऐंड्रोजनिस्म) को पहचाना जा सके जब कुछ विशिष्ट खिलाडी, महिलाओं की प्रतियोगिताएं में भाग लेने के लिए योग्य नहीं हो'. (हांलाकि, इस मानदंड प्रणाली के कई भाग है जो अनुचित हैं और इनमे बदलाव लाने के लिए २०१३ में डॉक्टर पायोशिनी मित्रा ने युवा मामले और खेल मंत्रालय के खेल विभाग के सामने सिफारिशें रखी हैं.)

इसको मद्देनज़र रखते हुए, ट्रांस* लोगों को, खासकर ट्रांस महिलाओं को, खेल में शामिल करने के लिए कुछ सिफारिशें हैं:

- खेल में भाग लेने के लिए ट्रांसजेंडर लोगों को सामान मौके होने चाहिए।
- खेल में ट्रांसजेंडर ऐथलीट्स के लिए नीतियां अच्छी मेडिकल जानकारी और वैज्ञानिक मान्यता पर ज़रूर आधारित होनी चाहिए, लेकिन इन नीतियों को बनाने में ट्रांसजेंडर लोगों के अनुभव की जानकारी और बायो एथिक्स, जेंडर और खेल पर विशेषज्ञों के विचार को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- ट्रांसजेंडर ऐथलीट्स के मेडिकल कागज़ात की गोपनीयता का सम्मान होना चाहिए। ऐथलीट्स को किसी भी मेडिकल हस्तक्षेप के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए और ऐथलीट्स के हित की रक्षा के लिए मेडिकल और गैर-मेडिकल विशेषज्ञों का एक पैनेल बनाना चाहिए। खासकर ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स लोगों के खेल में भागेदारी पर बायो एथिक्स मुद्दों पर काम करने वाले लोग इस पैनेल में होने चाहिए।

- ट्रांसजेंडर और जेंडर-विविधता के मुद्दों पर जानकारी देने वाले और प्रभावशाली शिक्षा सामग्री बनाने चाहिए और इन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण सेंटरों के खेल प्रयोजकों, स्टाफ, ऐथलीट्स और डॉक्टर्स को और खेल पर सभी राष्ट्रीय सरकारी विभागों को बांटनी चाहिए।
- भारतीय संविधान सभी लोगों को सेक्स के आधार पर होने वाले भेदभाव से सुरक्षा देता है. तर्क से देखा जाए तो इस भेदभाव से बचाव के संवैधानिक अधिकार को बढाकर खेल में, और बाकी जगहों पर यौनिक रुझान, जेंडर पहचान और इंटरसेक्स विविधता पर भी लागू होना चाहिए।
- हम सिफारिश करते हैं कि मेडिकल और गैर-मेडिकल विशेषज्ञों का एक पैनेल बनाया जाए, जो कि खेल में ट्रांसजेंडर लोगो के समावेश के लिए नीति बनायें। इस पैनेल में ट्रांसजेंडर लोगों और ट्रांसजेंडर ऐथलीट्स के साथ काम करने वाले विशेषज्ञ और समुदाय के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। यह नीति आई ओ सी की सिफारिशों को देखे, और साथ ही दुनिया की बेहतरीन कार्यप्रणालियों को भी देखें ताकि समावेश का ऐसा प्रगतिशील आदर्श बना सकें, जिससे आने वाले समय में बाकी देश भी सीख सकें।

<u>सरकार को संवेदीकरण कार्यक्रम चलाने चाहिए</u>

१. जेंडर पहचान और अभिव्यक्तियों के शब्दों और समझ पर सभी सरकारी विभागों का संवेदीकरण।
२. सम्बंधित सरकारी विभागों का एल जी बी टी आई मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय करार के बारे में संवेदीकरण। जैसे कि जोगजकार्ता सिद्धांत, जो अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून को यौनिक रुझान और जेंडर पहचान पर लागू करता है; नागरिक और राजनैतिक अधिकार अंतरराष्ट्रिए नियम वगैरह।
३. पुलिस, सेना बल और यौनिक अपराधियों के लिए जेंडर संवेदीकरण: सभी पुलिस थानों और पुलिस कर्मचारियों, चाहे वे किसी भी जेंडर के हों, को मानव अधिकार और महिला अधिकार पर मज़बूती से प्रशिक्षण देना चाहिए। सभी पुलिस कर्मचारियों को सिस जेंडर महिलाओं, ट्रांस महिलाओं, ट्रांस मेन, सेक्स वर्कर्स, दलित, आदिवासी और मुस्लिम महिलाओं पर हुई यौनिक हिंसा के सभी मामलों को ध्यान से सँभालने के लिए कड़ा प्रशिक्षण देना चाहिए। अगर कोई भी पुलिस कर्मचारी इस नियम को तोड़ता है, तो इसी अपराध में भाग के रूप में उसे सजा होनी चाहिए।

लेखक:

१. अमितावा, ट्रांसजेंडर महिला, ट्रांस एक्टिविस्ट, कोल्कता
२. ब्रैंड डी मेलो, ट्रांसमैन, ट्रांस एक्टिविस्ट, संपूर्ण, मुम्बई
३. चांदिनी, ट्रांसमहिला, ट्रांस एक्टिविस्ट, बैंगलोर
४. एलाक्षी कुमार, ट्रांस-बुच, ट्रांस स्कॉलर और आयोजक, नई दिल्ली
५. जी अमीना सुलैमान, ट्रांसमैन, ट्रांस एक्टिविस्ट, केरल
६. कावेरी-कार्तिक, इंटरजेंडर, ट्रांस एक्टिविस्ट, हैदराबाद
७. लिविंग स्माइल विद्या, ट्रांसमाहिला, एक्टिविस्ट, कलाकार, तमिल नाडु
८. डॉक्टर पायोशिनी, रीसर्च कंसलटेंट, जेंडर और खेल मुद्दे, कोल्कता
९. ऐ रेवती, ट्रांसमाहिला, ट्रांस एक्टिविस्ट, तमिल नाडु
१०. श्याम, ट्रांसमैन, बैंगलोर
११. सत्या, ट्रांसमैन, ट्रांस एक्टिविस्ट, संपूर्ण, मुम्बई